

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: एफ.1 (131)/एम.ई/गुप-1/2017

जयपुर, दिनांक: 31/8/17

आदेश


राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशांषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य, जेरियाट्रिक्स मेडिसिन के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड-पे रू० 6600/-) में वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (2) एफडी / रूत्स/06 दिनांक 03.07.2014 के अन्तर्गत अस्थाई रूप से एक वर्ष के परिवीक्षाकाल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं। निम्नांकित चिकित्सक पूर्व से नियमित रूप से राज्य सेवा में कार्यरत हैं। अतः इनके वेतन भत्ते वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(2)वित्त/नियम/2006 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार देय होंगे :-

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम व पता	मेरिट संख्या	जन्म तिथि	वर्ग जिसमें चयन हुआ	पदस्थापन स्थान	वर्ग जिसमें चयनित हुआ
1.	डॉ० आत्माराम छिम्पा पुत्र श्री वीरसिंह छिम्पा, पता:-क्वार्टर नं. 4 जिला राजकीय चिकित्सालय कैम्पस, श्रीगंगानगर 335001 (राज०)	एम-04	02.07.1978	BC	मेडिकल कॉलेज, बीकानेर।	GENM
2.	डॉ० सुभाष चन्द्र गौड़ पुत्र श्री धर्मपाल गौड़, पता:-सी-13, शास्त्रीनगर, बीकानेर 334001 (राज०)	एम-07	15.03.1981	SC	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।	SCM

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान, शर्तों, सेवा नियमों व राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।


इन्हे आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्षीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यक्षीन होगी।

आदेश से


(भगवत सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प. 07 (23) भर्ती / गोपनीयता / 2014-15 / 157 दिनांक 15.06.2017 के सन्दर्भ में।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
5. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
6. संबंधित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
7. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।


(शम्भू दयाल प्रजापति)
अनुभागाधिकारी

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 1 (131) / एम.ई / ग्रुप-1 / 2017

जयपुर, दिनांक: 3/8/17

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंखा पर महामहिम राज्यपाल महोदय ने निम्नांकित अभ्यर्थियों को **सहायक आचार्य, जेरियाट्रिक्स मेडिसिन** के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड-पे रु0 6600/-) में वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (2) एफडी /रुल्स/06 दिनांक 13.03.2006 एवं क्रमांक एफ.14(1)एफडी/रुल्स/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रूपये 26,670/- प्रतिमाह की दर पर तथा वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (2) एफडी/रुल्स/06 दिनांक 03.07.2014 के तहत अस्थाई रूप से एक वर्ष के परिवीक्षाकाल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति प्रदान करते हैं :-

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम व पता	मेरिट संख्या	जन्म तिथि	वर्ग जिसमें चयन हुआ	पदस्थापन स्थान	वर्ग जिसमें चयनित हुआ
1.	डॉ० लक्ष्मीकान्त गोयल पुत्र श्री कन्हैया लाल गोयल, पता:-डी-52, गोविन्द पुरी-डी, हनुमान मंदिर के पास, चम्बल डिस्ट्रिक्ट के पीछे, हवा सडक, जयपुर-302019 (राज०)	एम-01	02.04.1982	GEN	मेडिकल कॉलेज, जयपुर।	GENM
2.	डॉ० मंयक श्रीवास्तव पुत्र श्री जगमोहन श्रीवास्तव, पता:-बी-186, 10-वीं स्कीम, गोपालपुरा वाईपास, जयपुर 302018(राज०)	एम-03	15.10.1977	GEN	मेडिकल कॉलेज, कोटा।	GENM
3.	डॉ० अनुराग लोहमरोड पुत्र श्री उदयराम लोहमरोड, पता:-बी-108, तुलसी मार्ग, हनुमान नगर, जयपुर 302021(राज०)	एम-05	22.10.1981	BC	मेडिकल कॉलेज, उदयपुर।	OBCM
4.	डॉ० मधुलता अग्रवाल पुत्री श्री सुरेश कुमार चौधरी, पता:-4 ई, बी-105, ग फ्लोर, पुष्पाब्जली मेरिज गार्डन के पास, आर्य नगर विस्तार, मुरलीपुरा, जयपुर-302039 (राज०)	एम-06	28.12.1985	GE, WE	मेडिकल कॉलेज, अजमेर।	GENF


उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्राक्धान, शर्तों, सेवा नियमों व राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र/आदेश संख्या प.8(1) कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 06.09.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.01.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के अनुबोधक (Memorandum) क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.03.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5)वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.07.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावें शासित होंगे।

उपरोक्त चिकित्सकों के चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता का परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सकों की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र (आर.पी.एस.सी. से प्राप्त छाया प्रति के आधार पर) से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यधीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यधीन होगी।

आदेश से

(भगवत सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प. 07 (23) भर्ती / गोपनीयता / 2014-15 / 157 दिनांक 15.06.2017 के सन्दर्भ में।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
5. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
6. संबंधित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
7. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।


(शम्भू दयाल प्रजापति)
अनुभागाधिकारी